अतिशीघ्र/तत्काल
विधानसभा प्रश्न

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार**
**शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054**
**विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष**

---

**संख्या – डी.ई. 25(13)/390/एल.डब्ल्यू./2021–22/**2820-2821 **दिनाँक –** 23/03/22

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

**विषय– विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या – 12, दिनाँक – 24.03.2022 के सन्दर्भ में।**

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या – 12 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनाँक–24.03.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

(अशोक कुमार)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

**संख्या – डी.ई. 25(13)/390/एल.डब्ल्यू./2021–22/**2820-2821 **दिनाँक –** 23/03/22

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

(नीरज छतवाल)
अनुभाग अधिकारी (विधायी कार्य शाखा)

O/C

Section Officer
(L.W. Branch)
Dte. of Education
Old Sectt., Delhi-110054

**विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग**

**विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054**

तारांकित प्रश्न संख्या :– 12

दिनाँक :– 24.03.2022

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री भूपिंदर सिंह जून

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:–

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>शिक्षा विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत निजी स्कूलों में अनुशंसित किए गए छात्रों की संख्या और क्या इन सभी छात्रों का ईडब्ल्यूएस श्रेणी में निजी स्कूलों में प्रवेश हुआ;</td><td>शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पिछले तीन साल (सत्र 2019–2022) का विवरण इस प्रकार है–
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>वर्ष</th><th>अनुशंसित</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2019–20</td><td>66309</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2020–21</td><td>58216</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2021–22</td><td>41252</td></tr>
</table>
यह अनुशंसित आवेदक की स्वेच्छा पर निर्भर होता है कि वह अनुशंसा के बाद:<br>(1) आवंटित स्कूल में जाकर प्रवेश के हेतु सम्पर्क करें तथा<br>(2) सभी अपेक्षित आवश्यक मान्य दस्तावेजों के साथ सम्पर्क करें।<br>इस संदर्भ में यह बताना उचित है कि प्रत्येक अनुशंसित आवेदक का अनुशंसा के बाद स्थिति की निगरानी की जाती है तथा सम्पूर्ण अनुशंसा को निम्न श्रेणी में रखकर निगरानी (मॉनिटरिंग) की जाती है:–<br>(1) ऐडमिटेड<br>(2) नॉन रिपॉर्टेड<br>(3) रिजेक्टेड<br>(4) इन वेटिंग<br>(5) स्टेटस नॉट अपडेटेड<br>यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई भी सीट आंवटन होने के बाद खाली नहीं छोड़ी जाती है जैसे कि नॉन रिपॉर्टेड और रिजेक्टेड आवंटन के लिए पुनः अनुशंसा अगले ड्रॉ में भी की जाती है यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। इसके उपरान्त यदि वह सीट नहीं भरी जाती है तो उसकी अगले सत्र में अगले क्लास में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>क्या एक शैक्षिक वर्ष में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश सामान्य श्रेणी के प्रवेश के आनुपातिक होता है; यदि हां, तो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों में सामान्य श्रेणी में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के अनुपात में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों की गैरआनुपातिक रूप से अनुशंसा अधिक संख्या में करने के कारण;</td><td>आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के धारा 12 (1)(C) के अन्तर्गत प्रत्येक निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त स्कूल को अपने कुल घोषित सामर्थ्य (एंट्री लेवल सीट पर) करनी पड़ती है। शिक्षा निदेशालय इस घोषित सामर्थ्य (एंट्री लेवल सीट पर) का कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर ही ई.डब्ल्यू.एस. / डी.जी. / सी.डब्ल्यू. एस.एन. / श्रेणी का प्रवेश के लिए अनुशंसा करता है।</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>क्या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रवेश को जानबूझकर ना करने के लिए किसी निजी स्कूल के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है;</td><td>इस संबंध में प्राप्त शिकायत के वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर बहुत सारे निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त स्कूल के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई हर सत्र में की गई है।</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>दिल्ली में निजी स्कलों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों / अधिसूचनाओं का विवरण;</td><td>कोई भी निजी स्कूल अपने स्तर पर आदेश / अधिसूचना / सर्कुलर / गाइडलाइंस नहीं जारी करता है। इस संबंध में सभी आदेश / अधिसूचना / सर्कुलर / गाइडलाइंस शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किये जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>ङ)</td><td>क्या निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त छात्र को यूनिफॉर्म, किताबों आदि के भुगतान के लिए कह सकता है; और</td><td>जी नहीं।</td></tr>
<tr><td>च)</td><td>यदि किसी निजी स्कूल द्वारा किसी विद्यार्थी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है, तो ऐसे छात्र के लिए उपलब्ध विकल्पों का विवरण?</td><td>यदि कोई निजी स्कूल किसी छात्र को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश देने से मना करता है तो छात्र शिक्षा निदेशालय की हेल्पलाइन नम्बर 9818154069 तथा 8800355192 पर सहायता मांग सकता है और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। इसके अलावा उप निदेशक शिक्षा (जिला एवं जोन) को भी अपनी शिकायत दे सकता है ताकि उस स्कूल के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके और विद्यार्थी का नियमानुसार उस निजी स्कूल में प्रवेश करवाया जा सके। इनके अलावा छात्रों की सुविधा के लिए हर जिला शिक्षा कार्यालय में हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जाती है।</td></tr>
</table>

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054